



(☎ 022-22862703)

ई-मेल/e-mail-irw@dae.gov.in

फैक्स/Fax No. - 2204 8476 &
2282 4354

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

परमाणु ऊर्जा विभाग
DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY
औ. सं. एवं क. अनुभाग
IR&W SECTION

अणुशक्ति भवन
Anushakti Bhavan,
छ. शि. म. मार्ग
C.S.M. Marg,
मुंबई/Mumbai - 400001

No. 7/2/2019/IR&W/14070

नवंबर November 15, 2019

कार्यालय ज्ञापन OFFICE MEMORANDUM

विषय : जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए अंतिम रेट कांटेक्ट - संबंधी
Subject : Concluding rate contracts for procurement of Generic Medicines - reg.

विभाग में इकाँनामिस स्केल के लाभ प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय रूप से जेनेरिक दवाओं की खरीद के लिए अंतिम रेट कांटेक्ट के संबंध में संदर्भ प्राप्त हुए हैं। इस विषय को सीएचएसएस समीक्षा समिति के पास दिनांक 8.12.2017 और 22.7.2019 को आयोजित हुई बैठकों में विचार-विमर्श के लिए भेजा भी गया था। समिति ने सिफारिश की है कि जेनेरिक दवाओं की खरीद का केंद्रीकरण क्रय एवं भंडार निदेशालय (डीपीएस) के माध्यम से किया जा सकता है जो विभाग के नियंत्रणाधीन खरीद के लिए केंद्रीय एजेंसी है।

The Department has received reference regarding concluding rate contracts for procurement of generic drugs centrally for achieving the benefit of economies of scale. This matter was also referred to the CHSS Review Committee for deliberation in its meetings held on 8.12.2017 and 22.7.2019. The Committee has recommended that Centralisation of procurement of Generic drugs can be made through Directorate of Purchase and Stores (DPS) which is the central agency under the control of the Department for procurement.

2. अंतः, डीपीएस के द्वारा जेनेरिक मेडिसिन की खरीद को केंद्रीयकृत करने के लिए, अधोहस्ताक्षरी को निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी करने के लिए निदेशित किया जाता है:-

Therefore, in order to centralize procurement of Generic Medicine through DPS, the undersigned is directed to issue the following guidelines :-

- i) सभी इकाइयों को दवाइयों की अपनी वार्षिक आवश्यकताएं बीएआरसी अस्पताल के द्वारा प्रस्तुत करनी होगी।
All the units have to submit their annual requirement of medicines through BARC Hospital.
- ii) चूंकि, बीएआरसी अस्पताल दवाओं का प्रमुख उपयोगकर्ता है, इसलिए बीएआरसी में प्रमुख, चिकित्सा प्रभाग की अध्यक्षता में एक फार्माकोपिया समिति का गठन किया गया है। बेहतर समन्वय के लिए, प्रोसेसिंग के लिए डीपीएस में समेकित इंडेंट को भेजने से पहले खरीदी जाने वाली दवाओं के स्पेसिफिकेशन पर निर्णय लेने के लिए प्रत्येक इकाइयों के एक प्रतिनिधि को समिति में सहयोजित किया जा सकता है।

Since, BARC Hospital is a major user of medicines, a Pharmacopeia Committee headed by Head, Medical Division has been constituted in BARC. For better coordination, a representative from each the Units can be co-opted in the Committee to decide on the specification of medicines to be procured before sending consolidated Indents to DPS for processing.

- iii) उपभोग्य सामग्रियों के स्पेसिफिकेशन तैयार करने और समेकित इंडेंट देने के लिए अस्पताल के डॉक्टरों की एक उपभोक्ता समिति का गठन किया जाएगा।
A Consumable Committee comprising of Doctors from Hospital to be constituted to prepare specification of consumables and raising consolidated indent .
- iv) डीपीएस द्वारा जारी रेट कांटेक्ट की प्रति के साथ संबंधित यूनिटों से भुगतान प्राधिकारी के साथ संबंधित यूनिटों द्वारा खरीद की आवश्यकताएं बताई जाएंगी।
Purchase requisitions will be raised by respective units with Paying Authority from the respective units with a copy of Rate Contract released by DPS.
- v) मुंबई / आईजीसीएआर में दवा खरीद समिति को दवा एवं उपभोग्य सामग्रियों के लिए रेट कांटेक्ट के आधार पर एवं इंडेंट के आधार पर पूरे डीएई के लिए कुल खरीद को मंजूरी देने के लिए अधिकार दिया जाता है।
Drug Purchase Committee in Mumbai / IGCAR is empowered to approve total procurement for entire DAE on the basis of the indent, processed on Rate Contract basis for Medicine and consumables.
- vi) बीएआरसी अस्पताल खरीदी गई सामग्रियों के लिए विश्लेषणात्मक परीक्षणों हेतु कान्ट्रेक्ट सम्पन्न करेगा। संबंधित इकाइयां इस सुविधा का उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगी और किसी भी शिकायत के मामले में अपने राज्यों में संबंधित ड्रग कंट्रोलर से संपर्क कर सकती हैं।
BARC hospital shall conclude contract for Analytical tests for Items procured. The respective units shall be free to use this facility and also approach the respective Drug Controller at their respective states in case of any complaints.
- vii) संबंधित इकाइयां रेट कांटेक्ट में शामिल नहीं की गई सामग्रियों के लिए एक बार खरीद जारी रखेंगी।
Respective units will continue to make one time procurement for items not covered by rate contract.

3. रेट कांटेक्ट के तहत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए, सभी इकाइयों से अनुरोध किया जाता है कि वे प्रचलित रेट कांटेक्ट का उल्लेख करें, जो डीपीएस की वेबसाइट पर उपलब्ध है और निर्धारित समय-सीमा के भीतर डीपीएस को जेनेरिक दवाओं की आवश्यकता प्रस्तुत करें।

In order to derive maximum benefit under Rate Contract, all the units are requested to refer to the prevailing Rate contract, which is available in the website of DPS and submit the requirement of generic drugs to DPS within the prescribed time schedule.

4. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.



(राकेश गर्ग Rakesh Garg)

निदेशक (आईआरएंडडब्ल्यू) Director (IR&W)

सभी सीएचएसएस नियंत्रण प्राधिकारी
All CHSS Administering Authority.